



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2013/आश्विन 3, 1935

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2013/ASVINA 3, 1935

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

फा.सं. 9-4/2008मा-.(प्रशासन) .—तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 4(3)के अंतर्गत (क) यों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार शक्तिप्रदत्त, न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन मद्रास उच्च) न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिमई 20 को (,80 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए 2013 ,000 रुपए के वेतनमान में अध्यक्ष, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पद पर नियुक्त करती है।

डा. राजा शेखर वुन्दु, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2013

F. No. 9-4/2008-Fy Admn.—In exercise of powers conferred under Section 4(3)(a) of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Government of India is pleased to appoint Justice K. Raviraja Pandian (Retired Judge of Madras High Court) as Chairperson, Coastal Aquaculture Authority in the scale of pay of Rs. 80,000 for a period of three years with effect from the forenoon of 20th May, 2013.

Dr. RAJA SEKHAR VUNDRU, Jt. Secy.

4120 GI/2013

(1)